160/342

संं0– 1727 /IV(2)-श0वि0–2014–27(NURM)08

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 07 ~~दिसम्बर~~ जनवरी 2014

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार शहर हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः भा0स0–66/IV–श0वि0–09–27(एन0यू0आर0एम0)/08, दिनांक 20.03.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार शहर हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत ₹1671.53 लाख की डी0पी0आर0 संस्तुत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹334.30 लाख तथा देय राज्यांश ₹83.57 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल ₹417.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/PF-I/2013–1193, दिनांक 17.12.2013 द्वारा उक्त योजना की द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्रांश ₹200.58 लाख अवमुक्त किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त ₹200.58 लाख तथा कुल देय राज्यांश का 25 प्रतिशत ₹83.57 लाख, इस प्रकार कुल **₹284.15 लाख (रूपये दो करोड़ चौरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर नगर निगम, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इस धनराशि को उक्त कार्य के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

(ii) इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या भा0स0–66/IV–श0वि0–09–27(एन0यू0आर0 एम0)/08, दिनांक 20–03–2009 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(iv) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।

(v) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

..2/-....

(vii) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(viii) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

(ix) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों एवं उक्त सभी के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(xi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(xii) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(xiii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(xiv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय **वर्ष 2013–14** के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–05– नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे **₹224.48 लाख**, **अनुदान संख्या–30** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–01–आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे **₹51.15 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05– नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे **₹8.52 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–413/XXVII(2)/2013, दिनांक 10 जून, 2013 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

..3/-....

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S14011300049, S14013000050 एवं S14013100051 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

सं0– 1727 (1)/IV(2)-श0वि0–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–1 एवं 2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।